

पूर्वानुसार दिनांक 05-10-2020 को पेश हो।

6/2/2020

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
आपका पत्र प्राप्त होने के कारण पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 15-10-2020 को पेश हो।

15/10/2020

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज के
उपरान्त भी वकील प्रार्थी अनुपस्थित। मूल वाद
अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया
जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र भी इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलेशुमार
होकर नम्बर से कम हो।

15.10.2020

(सुरेश कुमार यादव)

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन (करौली)

